रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 1991/आषाढ़ 14, 1913
No. 394] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 1991/ASADHA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 5 जुलाई, 1991

का.आ. 452 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) दो सौ सत्रहवां संशोधन नियम, 1991 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"प्रथम अनुसूची

(नियम 2)

मंत्रालय, विभाग, सचिवालय तथा कार्यालय

1. कृषि मंत्रालय
   (1) कृषि और सहकारिता विभाग
   (2) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
   (3) पशुपालन और डेरी विभाग

2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
   (1) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
   (2) उर्वरक विभाग

3. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय
   (1) नागर विमानन विभाग
   (2) पर्यटन विभाग

4. नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

5. कोयला मंत्रालय

6. वाणिज्य मंत्रालय
   (1) वाणिज्य विभाग
   (2) पूर्ति विभाग
7. संचार मंत्रालय
   (1) डाक विभाग
   (2) दूरसंचार विभाग
8. रक्षा मंत्रालय
   (1) रक्षा विभाग
   (2) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग
   (3) रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग
9. पर्यावरण और वन मंत्रालय
10. विदेश मंत्रालय
11. वित्त मंत्रालय
   (1) आर्थिक कार्य विभाग
   (2) व्यय विभाग
   (3) राजस्व विभाग
12. खाद्य मंत्रालय
13. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
   (1) स्वास्थ्य विभाग
   (2) परिवार कल्याण विभाग
15. गृह मंत्रालय
   (1) आंतरिक सुरक्षा विभाग
   (2) राज्य विभाग
   (3) राजभाषा विभाग
   (4) गृह विभाग
16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (1) शिक्षा विभाग
   (2) युवक कार्यक्रम और खेल विभाग
   (3) कला विभाग
   (4) संस्कृति विभाग
   (5) महिला और बाल विकास विभाग
17. उद्योग मंत्रालय
   (1) औद्योगिक विकास विभाग
   (2) भारी उद्योग विभाग
   (3) लोक उद्यम विभाग
   (4) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
19. श्रम मंत्रालय
20. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
   (1) विधि कार्य विभाग
   (2) विधायी विभाग
   (3) न्याय विभाग
   (4) कंपनी कार्य विभाग
21. खान मंत्रालय
22. संसदीय कार्य मंत्रालय
23. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
   (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
   (2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
   (3) पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग
24. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
25. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
   (1) योजना विभाग
   (2) सांख्यिकी विभाग
   (3) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
26. विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
   (1) विद्युत विभाग
   (2) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग
27. रेल मंत्रालय
28. ग्रामीण विकास मंत्रालय
29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
   (2) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
   (3) बायोटेक्नोलॉजी विभाग
30. इस्पात मंत्रालय
31. जलभूतल परिवहन मंत्रालय
32. वस्त्र मंत्रालय
33. शहरी विकास मंत्रालय
34. जल संसाधन मंत्रालय
35. कल्याण मंत्रालय
36. परमाणु ऊर्जा विभाग
37. इलैक्ट्रानिकी विभाग
38. महासागर विकास विभाग
39. अंतरिक्ष विभाग
40. मंत्रिमंडल सचिवालय
41. राष्ट्रपति सचिवालय
42. प्रधानमंत्री कार्यालय
43. योजना आयोग

3. उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची में :—

(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ग. ग्रामीण विकास विभाग और घ. उर्वरक विभाग" उप शीर्षकों और उनके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ख) "कृषि मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी :—

क. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

1. औषधियां तथा फार्मास्यूटिकल्स ।
2. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968) (1968 का 46) के प्रशासन के अतिरिक्त ।
3. भोरा-वितरण और मूल्य निर्धारण ।

4. ऐलकोहल-औद्योगिक और पेय (ऐसे ऐल्कोहलो पेय को छोड़कर जिनका आधार शीरे पर न हो) (भारतीय पावर एलकोहल अधिनियम, 1948 (1948 का 22) सहित ।

5. रंजक-द्रव्य और रंजक मध्यक ।

6. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं ।

7. विभाग द्वारा व्यवहृत सब उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्रण सहायता ।

8. इस विभाग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विषय में से किसी से भी संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

9. इस विभाग में सम्मिलित विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को छोड़कर जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई हैं ।

10. भोपाल गैस विभीषिका-तत्संबंधी विशेष विधियां ।

11. पेट्रो-रसायन ।

12. सेलूलोज रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलान, पोलिएस्टर, एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग ।

13. संश्लिष्ट रबड़ ।

14. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं ।

15. उपर्युक्त मामलों से संबंधित सभी सरकारी क्षेत्र के एकक ।

16. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

ख. उर्वरक विभाग

1. उर्वरक उत्पादन के लिए परियोजना तैयार करना जिसके अन्तर्गत किसी अभिहित सरणीकरण अधिकरण के माध्यम से उर्वरकों का आयात भी है ।

2. कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार उर्वरकों के संचलन और वितरण की व्यवस्था ।

3. देशी और आयातित उर्वरकों के लिए उपदान का प्रबंध जिसके अंतर्गत आयातित उर्वरकों के "प्रतिधारण" मूल्य और लागत का अवधारण भी है ।

4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1960 का प्रशासन ।

5. विभाग के नियंत्रण के अधीन लोक उपक्रमों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

6. इस विभाग के अधीन सम्मिलित विषयों से संबद्ध पब्लिक सैक्टर परियोजनाएं, सिवाय ऐसी परियोजनाओं के जो किसी अन्य संभालय या विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित की गई हैं ।

7. सहकारिता क्षेत्र में, अर्थात् इंडियन फारमर्स कोऑपरेटिव् लिमिटेड (आई.एफ.एफ.सी.ओ.) कृषक भारती कोआपरेटिव् लिमिटेड (के.आर.आई.बी.एच.सी.ओ.) उर्वरक उत्पादन एककों के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

8. इंडियन पोटाश लिमिटेड (आई.पी.एल.) के लिए प्रशासनिक उत्तरदायित्व ।

9. इस विभाग के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

(ग) (i) "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा ।

(ii) इस प्रकार रखे गए शीर्षक के पश्चात् और उसके नीचे की प्रविष्टियों से पहले, निम्नलिखित उप शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) "नागर विमानन विभाग"

(iii) इस प्रकार अंतःस्थापित "नागर विमानन विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(ख) पर्यटन विभाग

(1) पर्यटन विभाग

(2) भारतीय पर्यटन विकास निगम और उसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के होटल । इस सूची में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

(घ) "नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय"

1. आंतरिक व्यापार ।

2. आन्तराज्यिक व्यापार : स्पिरिटयुक्त निमिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।

3. वायदा बाजार का नियंत्रण अग्रीम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 72) ।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय कीमतें और वितरण, जो विनिर्दिष्टतः किसी अन्य मंत्रालय द्वारा व्यवत नहीं है ।

5. जोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) निरोध के अध्यधीन व्यक्ति ।

6. उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं ।

7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

8. कीमतों का परिवीक्षण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता ।

9. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।

10. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।

11. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण ।

12. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक वे वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से संबंद्ध हैं ।

13. वनस्पति घी, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा का अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य, उनका मूल्य नियंत्रण पूर्ति और वितरण ।

14. वनस्पति घी, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।

15. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) ।

16. बाट और माप मानक । बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) ।

17. भारत मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न या अधिनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन जिसमें फारवर्ड मार्केट्स कमीशन, बम्बई भी सम्मिलित है ।

(ङ) इस प्रकार अंत:स्थापित "नागरिक पूर्ति सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी ।

"कोयला मंत्रालय"

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट का अन्वेषण और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन और पूर्ति, वितरण और कीमत से संबंधित सभी मामले ।

3. इस्पात विभाग जिसके लिए जिम्मेदार है उससे भिन्न कोयला खानों का विकास और संचालन ।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संगलिष्ट तेल का उत्पादन ।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7. कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

10. खानों में उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम ।

11. कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

12. कोयले और लिग्नाईट से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उद्यम ।

13. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाईट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से प्रासंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं ।

(च) "ऊर्जा मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(छ) "पर्यावरण तथा वन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग" उप शीर्षक का लोप किया जाएगा ।

(ज) (i) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "खाद्य मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा,

(ii) इस प्रकार रखे गए शीर्षक के पश्चात और उसके नीचे की प्रविष्टियों से पहले "खाद्य मंत्रालय" उप शीर्षक का लोप किया जाएगा,

(iii) उप शीर्षक "ख नागरिक पूर्ति विभाग" और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(झ) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "(ब) संस्कृति विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित उप शीर्षक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ङ. महिला और बाल विकास विभाग"

1. कुटुम्ब कल्याण ।

2. स्त्री और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. स्त्रियों और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त प्रसंग ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व शिशुओं की देखभाल ।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय, प्राथमिक विद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्ति और आर्थिक विश्लेषण ।

7. इस विभाग की आबंटित विषयों के संदर्भ में स्वैच्छिक प्रयासों का उन्नयन और विकास ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय अथवा संगठन ।

9. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 का 104) ।

10. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) ।

11. कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर के क्रियाकलापों का समन्वय ।

12. महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजना अनुसंधान मूल्यांकन मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रशिक्षण ।

13. संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।

14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के. स. क. बो.)

15. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन. आई. पी. सी. सी. डी.)

(ञ) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ख कंपनी कार्य विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"ख. लोक उद्यम विभाग

1 सरकारी उद्यम ब्यूरो जिसमें औद्योगिक प्रबंध पूल भी सम्मिलित है ।

(ट) विधि और न्याय मंत्रालय शीर्षक के स्थान पर "विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा और "न्याय विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात :—

"ख. कंपनी कार्य विभाग"

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का प्रशासन ।

2. कंपनी (राष्ट्रीय निधियों को दाय) अधिनियम, 1951 (1951 का 54) का प्रशासन ।

3. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का प्रशासन ।

4. लेखा-वृत्ति (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) लागत और संकर्म लेखा वृद्धि (लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) कंपनी सचिवस्थ वृत्ति (कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) ।

5. कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण ।

6. भागीदारी विधि के संबंध में विधान और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अध्याय 7 के अधीन केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के कतिपय कृत्यों का निर्वहन (अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकारों में विहित है) ।

7. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ।

8. उपबंधित मदों में से किसी के बारे में केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से संबंधित मामलों की बाबत केन्द्र का उत्तरदायित्व ।

9. केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सोसायटि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित विधान।

(ट) "विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की इस प्रकार संशोधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"खान मंत्रालय"

1. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 66) तथा अन्य संघ विधियों के अधीन खानों तथा कोयले और लिग्नाईट तथा भरणार्थ बालू से भिन्न खनिजों के विकास का विनियमन, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न और इनके बारे में अनुषंगी कार्य है।

2. सभी ऐसी अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य विभाग को आबंटित नहीं है जैसे अल्युमिनियम, जस्ता, तांबा सोना, हीरे, सीसा और निकल।

3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना विकास और नियंत्रण तथा सहायता।

4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण।

5. भारतीय खान ब्यूरो।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन।

7. दि सिक्किम माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड।

8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं, उनके सिवाए इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपक्रम।

9. मैटलर्जिकल ग्रेड सिलिकान।

(ड) (i) "पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) "क" पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग "उप शीर्षक का लोप किया जाएगा"।

(iii) "ख रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ढ) "योजना मंत्रालय" और "कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्षकों और उनके नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय"

क. योजना विभाग

राष्ट्रीय योजना के विषय की बाबत संसद के प्रति उत्तरदायित्व।

ख. सांख्यिकी विभाग

. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रहण, प्रसंस्करण की संकल्पना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार अन्तःप्रवर्तित करते हुए प्रमाणों और मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण।

2 भारत सरकार के विभागों के संबंध में या तो आंकड़ों की उपलब्धता में किसी असारतम्य की विद्यमानता को या सांख्यिकी मनबं के द्विगुणीकरण को पहचानने की दृष्टि से सांख्यिकी कार्य का समन्वयन करना और आवश्यक उपचारी उपायों का सुझाव देना।

3. सांख्यिकी कार्य प्रणाली की बाबत और संग्रहीत आंकड़ों सांख्यिकी विश्लेषण पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना।

4. भारतीय सांख्यिकी सेवा का प्रबन्ध करने के केन्द्रीकृत पहलू और उस सेवा के लिए प्रशिक्षण, कैरियर विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबंधित सभी विषय।

5. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

6. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।

7. संगणक (कंप्यूटर) केन्द्र।

8. भारतीय सांख्यिकी संस्थान।

ग. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

1. 20 सूत्री कार्यक्रम को मानीटर करना।

2 अवसंरचना सैक्टरों के कार्य-सम्पादन को मानीटर करना, और

3 बीस करोड़ रुपए और उसके ऊपर की परियोजनाओं को मानीटर करना;

(ण) इस प्रकार रखे गए "योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् .—

"विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय"

क. विद्युत विभाग

1. ऊर्जा के क्षेत्र में साधारण नीति।

2. अनुसंधान विकास, तकनीकी सहायता और जल विद्युत और ऊष्मीय शक्ति से संबंधित मामले (3 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लघुसूक्ष्मता हाइडल परियोजनाएं और भू-तापीय ऊर्जा)।

3. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9)।

4 विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54)

5 केन्द्रीय विद्युत बोर्ड।

6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

7 संघ राज्य क्षेत्रों में विद्युत स्कीमें।

8 दामोदर घाटी निगम।

9 भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड और व्यास सन्निर्माण बोर्ड (सिंचाई से संबंधित विषयों को छोड़कर)।

10. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड।

11. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड।

12 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।

13 उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

14 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान।

15. विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसाइटी।

ख. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग

1 बायो-गैस का अनुसंधान और विकास तथा बायो-गैस यूनिटों से संबद्ध कार्यक्रम।

2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग (सी.ए.एस.ई.)।

3. सौर प्रकाश वोल्टीय यंत्र उनके विकास, उत्पादन और अनुप्रयोगों सहित।

4. 3 मेगावाट क्षमता की और उससे कम की लघु/सूक्ष्म हाइडल परियोजनाएं और भूतापीय ऊर्जा ।

5. समुन्नत चूल्हों और उनके अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्यक्रम ।

6. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ।

(त) इस प्रकार अंतःस्थापित "विद्युत और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले ।

2. भूमि सुधार, भूमि धारण अधिकार, भूमि रेकार्ड, जोतों की चकबन्दी तथा अन्य संबंधित मामले ।

3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 का प्रशासन और संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन संबंधी अन्य मामले ।

4. किसी राज्य में उस राज्य से बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं को, जिनके अंतर्गत भू-राजस्व बकाया, और इस प्रकार वसूल की जाने वाली बकाया भी है, वसूली ।

5. भूमि अर्थात् भाटक का संग्रहण, भूमि का हस्तान्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि सुधार और कृषि संबंधी उधार, जिनके अंतर्गत निर्माणों और नगर योजना सुधारों के लिए कृषि भूमि से भिन्न भूमि का अर्जन नहीं है ।

6. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्माण और संग्रहण, राजस्व प्रयोजनों के लिए परिभाष और राजस्व का अन्य संक्रामण भी है ।

7. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क ।

8. प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण और पौषाहार कार्यक्रमों के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित सभी मामलों का नोडीय उत्तरदायित्व ।

9. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित जल प्रदाय, मलनाली जल निकास और स्वच्छता । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

10. (क) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगारी से संबंधित सब विषय जैसे ग्रामीण विकास की नीतियां और कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विशेष संकर्म, मजदूरी या आय में वृद्धि भी है, तैयार करना, उससे संबंधित प्रशिक्षण ।

(ख) ग्रामीण रोजगार के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.का.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (ग्रा.भू.रो.गा.का.) और समय समय पर बनाए गए कार्यक्रम ।

(ग) ग्रामीण रोजगार या बेरोजगार से संबंधित माइक्रो स्तर आयोजन तथा उसके लिए प्रशासनिक ढांचा ।

11. सर्वांगीण ग्रामीण विकास जिसमें लघु कृषि का विकास अभिकरण, सीमांत कृषक और कृषि मजदूर, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि सम्मिलित है :

12. मरुस्थल विकास कार्यक्रम ।

13. लोक सहकार, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सब विषय भी हैं ।

14. ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण व्यवस्था जिसमें ग्रामीण गोदाम आते हैं ।

15. ग्रामीण आवास जिसके अंतर्गत ग्रामीण आवास नीति भी है और देश में उससे संबद्ध और आनुषंगिक सभी मामले या ग्रामीण योजना, जहां तक उसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है ।

16. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना और कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) ।

17. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

18. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय संबंधित सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय तथा अन्य संगठन ।

19. ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मामलों सहित ग्रामीण सड़कों से संबंधित सभी मामले ।

20. असम के उन जनजाति क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित सड़क संकर्म जो संविधान की छठी अनुसूची के परा 20 से उपाबद्ध सारणी के भाग I और II में विनिर्दिष्ट हैं ।

21. कोआपरेशन सिंटर फार इंटेग्रेटिड रूरल डवलपमेंट फार एशिया एंड पैसिफिक (सी.आई.आर.डी.ए.पी.) तथा दि एफ्रो एशियन रूरल रिकंस्ट्रक्शन आर्गेनाइजेशन (ए.ए.आर.आर.ओ.) से संबंधित सभी मामले ।

(थ) (1) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर "इस्पात मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा,

(2) "क. इस्पात विभाग" उप शीर्षक का लोप किया जाएगा,

(3) "ख. खान विभाग" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(द) "कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. कल्याण विभाग" उप शीर्षक का लोप किया जाएगा और "ख. महिला और बाल विकास मंत्रालय" उप शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का भी लोप किया जाएगा ।

रामस्वामी वेंकटरामन

"राष्ट्रपति"

[सं. 74/2/11/9/-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1991

S.O. 452(E).- In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may de called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and Seventeenth & Amendment Rules, 1991.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961; (hereinafter referred to as the said rules) for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE FIRST SCHEDULE

(Rule 2)

MINISTRIES, DEPARTMENTS, SECRETARIATS AND OFFICES

(MANTRALAYA, VIBHAG, SACHIVALAYA TATHA KARYALAYA)

1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya).
   (i) Department of Agriculture and Cooperation (Krishi aur Sahkarita Vishag).
   (ii) Department of Agricultural Research and Education (Krishi Anusandhan aur Shiksha Vibhag)
   (iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag.)
2. Ministry of Chemicals & Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya).
   (i) Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan aur Petro-Rasayan Vibhag).
   (ii) Department of Fertilisers (Urvarak Vibhag).
3. Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimanan aur Paryatan Mantralaya).
   (i) Department of Civil Aviation (Nagar Vimahan Vibhag).
   (ii) Department of Tourism (Paryatan Vibhag).
4. Ministry of Civil Supplies & Public Distribution. (Nagrik Poortiaur Sarvajanik Vitaran Mantralaya.)
5. Ministry of Coal (Koyala Mantralaya).
6. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya).
   (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).
   (ii) Department of Supply (Poorti Vibhag)
7. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya).
   (i) Department of Posts (Dak Vibhag).
   (ii) Department of Telecommunication (Doordarshan Vibhag).
8. Ministry of Defence (Raksha Mantralaya).
   (i) Department of Defence (Raksha Vibhag).
   (ii) Department of Defence Production and supplies (Raksha Utpadan aur Poorti Vibhag).
   (iii) Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan aur Vikas Vibhag).
9. Ministry of Environment and Forests (Paryavaran aur Van Mantralaya).
10. Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya).
11. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).
   (i) Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag).
   (ii) Department of Expenditure (Vyaya Vibhag).
   (iii) Department of Revenue (Rajaswa Vibhag).
12. Ministry of Food (Khadya Mantralaya).
13. Ministry of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Mantralaya).
14. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Pariwar Kalyan Mantralaya).
   (i) Department of Health (Swasthya Vibhag)
   (ii) Department of Family Welfare (Parivar Kalayan Vibhag).
15. Ministry of Home Affairs (Grih Mantralaya).
   (i) Department of Internal Security (Antarik Suraksha Vibhag).
   (ii) Department of States (Rajya Vibhag).
   (iii) Department of Official Language (Raj Bhasha Vibhag).
   (iv) Department of Home (Grih Vibhag).
16. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya).
   (i) Department of Education (Shiksha Vibhag).
   (ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Vibhag)
   (iii) Department of Arts (Kala Vibhag).
   (iv) Department of Culture (Sanskriti Vibhag)
   (v) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag).
17. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya).
   (i) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag).
   (ii) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).
   (iii) Department of Public Enterprises (Lok Udyam Vibhag).
   (iv) Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries. (Laghu Udyog aur Krishi Evam Gramin Udyog Vibhag).
18. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).
19. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).
20. Ministry of Law and Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampani Karya).
   (i) Department of Legal Affairs (Vidhi Karya Vibhag).
   (ii) Legislative Department (Vidhayee Vibhag).
   (iii) Department of Justice (Nyaya Vibhag).
   (iv) Department of Company Affairs (Kampani Karya Vibhag)
21. Ministry of Mines (Khan Mantralaya).
22. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Mantralaya).
23. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmik Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya).
   (i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).
   (ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag.
   (iii) Department of Pensions and Pensioners Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag).
24. Ministry of Petroleum and Natural Gas (Petroleum aur Prakritik Gas Mantralaya).
25. Ministry of Planning and Programme Implementation (Yojana aur Karyakram Karyanvayan Mantralaya).
   (i) Department of Planning (Yojana Vibhag).
   (ii) Department of Statistics (Sankhyiki Vibhag).

(iii) Department of Programme Implementation (Karyanvayan Vibhag).

26. Ministry of Power and Non-Conventional Energy Sources (Vidyut aur Aparamparik Oorja Srota Mantralaya).

(i) Department of Power (Vidyut Vibhag).

(ii) Department of Non Conventional Energy Sources (Aparamparik Oorja Srota Vibhag).

27. Ministry of Railways (Rail Mantralaya).

28. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya).

29. Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya).

(i) Department of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Vibhag).

(ii) Department of Scientific and Industrial Research (Vigyan aur Audyogik Anusandhan Vibhag).

(iii) Department of Bio-Technology (Biotechnology Vibhag).

30. Ministry of Steel (Ispat Mantralaya).

31. Ministry of Surface Transport (Jal Bhootal Parivahan Mantralaya).

32. Ministry of Textiles (Vastra Mantralaya).

33. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya).

34. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya).

35. Ministry of Welfare (Kalyan Mantralaya).

36. Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag).

37. Department of Electronics (Electroniki Vibhag).

38. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag).

39. Department of Space (Antariksh Vibhag).

40. Cabinet Secretariat (Mantrimandal Sachivalaya).

41. President's Secretariat (Rashtrapati Sachivalaya).

42. Prime Minister's Office (Pradhan Mantri Karyalaya).

43. Planning Commission (Yojana Ayog)".

3. In the Second Schedule to the said rules :—

(a) under the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)", the sub-headings "C. Department of Rural Development (Gramin Vikas Vibhag)" and the "D. Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(b) after the heading "Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)" and the entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Ministry of Chemicals and Fertilizers (Rasayan Aur Urvarak Mantralaya)"

A. Department of Chemicals and Petro-Chemicals (Rasayan Aur Petro-Rasayan Vibhag).

1. Drugs and Pharmaceuticals.

2. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968).

3. Molasses-distibution and pricing.

4. Alcohol-industrial and potable (excluding alcoholic drinks from non-molasses base) including the Indian Power Alcohol Act, 1948 (22 of 1948).

5. Dye-stuffs and dye-intermediates.

6. All organic and inorganic chemicals, not specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

9. Public Sector projects concerned with the subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

10. Bhopal Gas Leak Disaster—Special Laws relating thereto.

11. Petro-chemicals.

12. Industries relating to production of non-cellulosic synthetic fibres (Nylon Polyester, Acrylic etc.)

13. Synthetic rubber.

14. Plastics including fabrications of plastic and moulded goods.

15. All Public Sector units relating to the above matters.

16. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. Department of Fertilizers (Urvarak Vibhag)

1. Planning for fertilizer production including import of fertilizer through a designated canalising agency.

2. Arrangements for movement and distribution of fertilizers in terms of allocations made by the Department of Agriculture and Cooperation.

3. Management of subsidy for indigenous and imported fertilizers including determination of retention price and costing of imported fertilizers.

4. Administration of the Fertilizers (Movement Control) Order, 1960.

5. Administrative responsibility for public enterprises under the control of the Department.

6. Public sector projects concerned with subjects included under this Department except such projects as are specifically allotted to any other Ministry or Department.

7. Administrative responsibility for fertilizer production unit in the cooperative sector, namely, Indian Farmers Cooperative Limited (IFFCO), Krishak Bharti Cooperative Limited (KRIBHCO).

8. Administrative responsibility for the Indian Potash Limited (IPL).

9. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified under this Department.

(c) (i) for the "Ministry of Civil Aviation (Nagar Vimanan Mantralaya)" the heading "Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Vimanan Aur Paryatan Mantralaya)" shall be substituted.

(ii) after the heading , as so substituted, and before the entries thereunder, the following sub-heading shall be inserted, namely :—

A. "Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag)".

(iii) after the sub-heading "A. Department of Civil Aviation (Nagar Vimanan Vibhag)" as so inserted, and the entries thereunder, the following sub heading and the entries shall be inserted, namely :—

"B. Department of Tourism (Paryatan Vibhag)

1. Development of Tourism

2. India Tourism Development Corporation and Public Sector Hotels thereunder. Inquiries and Statistics for the purpose of any of the matters specified in this list".

(d) after the heading "Ministry of Civil Aviation and Tourism (Nagar Viman Aur Paryatan Mantralaya)" and entries thereunder, the following shall be inserted, namely :—

"Ministry of Civil Supplies and Public Distribution (Nagrik Poorti Aur Sarvajanik Vitran Mantralaya)

1. Internal Trade.

2. Inter State Trade: the Spirituous Prepaations (Inter-state Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).

3. Control of Futures trading the Forward Contracts (Regualtion) Act, 1952 (74 of 1952).

4. The Essential Commodities Act, 1955(Supply, Prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980) persons subjected to detention thereunder.

6. Consumer Cooperatives.

7. Public Distribution Systems.

8. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

9. The Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986).

10. Regulation of packaged Commodities.

11. Training in Legal Meteorology.

12. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

13. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oils Seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

14. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

15. Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950).

16. Standards of Weights and Measurers. The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976).

17. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay".

(e) after the heading "MINISTRY OF CIVIL SUPPLIE AND PUBLIC DISTRIBUTION (NAGRIK POORTI AUR SARVAJANIK VITRAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so inserted, the following heading and the entries shall be inserted namely:—

"MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)"

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite

13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.

(f) the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)" and therentries thereunder shall be omitted.

(g) under the "MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (PARYAVARAN TATHA VAN MANTRALAYA)", the sub-heading "DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOREST AND WILD LIFE (PARYAVARAN, VAN AUR VANYA JEEV VIBHAG)" shall be omitted.

(h) (i) for the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF FOOD (KHADYA MANTRALAYA)" shall be substituted;

(ii) after the heading, as so substituted, and before the entries thereunder, the sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)" shall be omitted;

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(i) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADAHN VIKAS MANTRALAYA)", after the sub-heading "D. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)"

and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"E. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)

1. Family Welfare.
2. Women and child welfare and coordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.
3. References from the United Nations Organisation relating to traffic in women and children.
4. Care of pre-school children.
5. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.
6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.
7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.
8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
9. Administration of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 (104 of 1956).
10. Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).
11. Coordination of activities of Cooperative American Relief Everywhere (CARE).
12. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare of women and children.
13. United Nations Children's Fund (UNICEF).
14. Central Social Welfare Board (CSWB).
15. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD)".

(j) under the heading "MINISTTY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)" for sub heading "B. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:—

"B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool."

(k) for the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)" shall be substituted and after sub-heading "C. DEPARTMENT OF JUSTICE (NYAYA VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"D. DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS (KAMPANI KARYA VIBHAG)

1. Administration of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).
2. Administration of the Companies (Donations of Nations Funds) Act, 1951 (54 of 1951).
3. Administration of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969).
4. Profession of Accountancy [Chartered Accountant Act, 1949 (38 of 1949)]; Profession of Costs and Works Accountancy [Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959)]; Profession of Company Secretaries [Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980)].
5. Collection of Statistics relating to Companies.
6. Legislation relating to law of Partnership and the exercise of certain functions under Chapter VII of the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) in centrally administered areas. (The administration of the Act vests in the State Governments).
7. Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission.
8. The responsibility of the Centre relating to matters concerning centrally administered areas in respect of any of the above items.
9. Legislation in relation to societies registration and exercise of functions under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in centrally administered areas".

(l) after the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so amended the following shall be inserted, namely :—

MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)

2. Regulation of mines and development of minerals other than coal and lignite and sand for stowing under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and other Union Laws, including questions concerning various States and incidental business in respect of these.
2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Department, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.
3. Planning development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
4. Geological Srvey of India.
5. Indian Bureau of Mines.
6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
7. The Sikkim Mining Corporation Limited.
8. Public Sector enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except such as are specifically allotted to any other Department.
9. Metallurgical Grade Silicon.

(m) (i) for the heading "MINISTRY OF PETROLEU AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRALAYA)" shall Se substituted:

(ii) the sub-heding "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS VIBHAG)" shall be omitted:

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS (RASAYAN AUR PETRO-RASAYAN VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(n) for the headings "MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)" and "MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)", and the entries under the said headings, the following shall be substituted, namely:—

"MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF PLANNING (YOJANA VIBHAG

Responsibility to Parliament in regard to the subject of national planning.

B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)

1. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.
2. Coordination of statistical work with a view to identifying the existence of either gaps in data availability or the duplication of statistical work in respect of the Departments of the Government of India and to suggest necessary remedial measures.
3. Advise the Departments of the Government of India regarding the statistical methodology and on statistical analysis of collected data.
4. Centralised aspects of managing the Indian Statistical Service and all matters pertaining to training, carrier planning and manpower planning for that service.
5. Central Statistical Organisation.
6. National Sample Survey Organisation.
7. Computer Centre.
8. Indian Statistical Institute.

C. DEPARTMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (KARYAKRAM KARYANVAYAN VIBHAG)

(i) Monitoring of 20 point programme;

(ii) Monitoring of the performance of Infrastructure sectors; and

(iii) Monitoring of projects of Rs. 20 crores and above".

(o) after the heading "MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so substituted, the following shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (VIDYUT AUR APARAMPARIK, OORJA SROTA MANTRALAYA).

A. DEPARTMENT OF POWER (VIDYUT VIBHAG)

1. General Policy in the field of energy.
2. Research, development technical assistance and all matters relating to Hydro-electric and thermal power (except mini/micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geothermal energy).
3. Administration of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910).
4. Administration of the Electricity (Supply Act, 1948 (54 of 1948).
5. Central Electricity Board.
6. Centra Electricity Authority.
7. Power Schemes in Union Territories.
8. The Damodar Valley Corporation.
9. Bhakra Beas Management Board and Beas Construction Board (except matters relating to irrigation).
10. National Thermal Power Corporation Limited.
11. National Hydro-electric Power Corporation Limited.
12. Rural Electrification Corporation Limited.
13. North Eastern Electric Power Corporation Limited.
14. Central Power Research Institute.
15. Power Engineers Training Society.

B. DEPARTMENT OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (APARAMPARIK OORJA SROTA VIBHAG)

1. Research and development of bio-gas and programmes relating to bio-gas units.
2. Commission for Additional Sources of Energy (CASE).
3. Solar Photovoltaic devices, including their development, production and applications.
4. Mini/Micro hydel projects of and below 3 MW capacity and Geothermal energy.
5. Programmes relating to improved chulhas and research and development thereof.
6. Indian Renewable Energy Development Agency)."

(p) after the heading "MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (VIDYUT AUR APARAMPARIK OORJA SROTA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, as so inserted, the following shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)

1. All matters relating to panchayati raj and panchayati raj institutions.
2. Land reforms, land tenures, land records, consolidation of holdings and other related matters.
3. Administration of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894) and matters relating to acquisition of land for purposes of Union.
4. Recovery of claims in a State in respect of taxes and other public demands, including arrears of land revenue and sums recoverable as such arrears, arising outside that State.
5. Land, that is to say, collection of rents, transfer and alienation of land, land improvement and agricultural loans excluding acquisition of non-agricultural land or buildings, town planning improvements.
6. Land revenue, including the assessment and collection of revenue, survey of revenue purposes, alienation of revenues.
7. Duties in respect of succession to agricultural land
8. Nodal responsibility for all matters relating to the Minimum Needs Programme in rural areas in the field of elementary education, adult education, rural health, rural electrification and the nutrition programmes.

9. Water supply, sewage, drainage and sanitation relating to rural areas. International cooperation and technical assistance in this field.

10. (a) All matters pertaining to rural employment or unemployment such as working out of strategies and programmes for rural employment including special works, wage or income generation and training related thereto:

(b) Implementation of the specific programmes of rural employment such as National Rural Employment Programmes (NREP). Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and other programmes evolved from time to time.

(c) Micro level planning related to rural employment or unemployment and administrative infrastructure therefor.

11. Integrated rural development, including small farmers development agency, marginal farmers and agricultural labourers, drought prone area programmes, etc

12. Desert Development Programmes.

13. Public cooperation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

14. Warehousing in rural areas, including rural godowns.

15. Rural housing including Rural Housing Policy and all matters germane and incidental thereto under country or rural planning, in so far as it relates to rural areas.

16. Setting up of agricultural markets in rural areas and the Agricultural produce (Grading and marking) Act, 1937 (1 of 1937).

17. Cooperatives relating to the items in this list.

18. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

19. All matters relating to rural roads including those under the Minimum Needs Programme in the rural areas.

20. Road works financed in whole or in part by the Central Government in tribal areas of Assam secified in Part I and Part II of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

21. All matters relating to cooperation with the Centre for Integrated Rural Development for Asia and Pacific (CIRDAP) and the Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation (AARRO)".

(q) (i) for the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)" shall be substituted;

(ii) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF STEEL (ISPAT VIBHAG)" shall be omitted;

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)" and the entries thereunder, shall be omitted.

(r) under the heading "MINISTRY OF WELFARE (KALYAN MANTRALAYA)", the sub-heading "A. DEPARTMENT OF WELFARE (KALYAN VIBHAG)", shall be omitted and the sub-heading "B. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall also be omitted.

R. VENKATARAMAN
PRESIDENT"

[F. No. 74/2/11 -Cab.]
D. DAS GUPTA, Joint Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991